यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्याः 126 /यूजेवीएनएल/एचआरडी/05 दिनांक : 04.01.17

विषयः यूजेवीएन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम) के पद पर (वेतन बैंड रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5,400/–) पर नियुक्ति।

पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट **In duplicate**

Shri. Akash Chauhan (Roll. No. 710436) (GEN.)
S/o Shri. Dwejendra Singh Chauhan
4/B - 232 Buddhi Vihar Colony, Majhola,
Moradabad, U.P.

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2015 व दिनांक 08 मई, 2016 को आयोजित लिखित परीक्षा एवं दिनांक 07, 08, 10, 11 एवं 15 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर एतद्द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0) हेतु आपकी नियुक्ति वेतन बैण्ड रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5,400/–) में निम्न सेवा शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है।

1– उपरोक्त वेतन बैण्ड में आपको प्रारम्भिक मूल वेतन रू0 15,600 (ग्रेड वेतन रू0 5,400) प्रति माह देय होगा। मूल वेतन (प्रारम्भिक मूल वेतन + ग्रेड वेतन) के अतिरिक्त आपको लागू दरों पर महंगाई भत्ता एवं यूजेवीएन लिमिटेड में समय–समय पर आपके उपरोक्त पद पर लागू/स्वीकृत अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

2– सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0) के रुप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना व बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

3– सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0) के रुप में आपकी प्रशिक्षण अवधि 12 (बारह) माह की होगी जिसके दौरान आपकी क्षमता (Performance) का नियमित आंकलन/समीक्षा आपके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके आधार पर आपका प्रशिक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है या प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपका प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा जिसके लिये समय समय पर निर्देश जारी किये जायेंगे जिनका आपको पालन करना होगा।

4– उपरोक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त आपकी नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपको निर्धारित अन्तिम लिखित तथा/अथवा मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यदि आप अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण अधिकतम 2 वर्षो की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो कि आपके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में आपको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा। परन्तु यदि आप द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

5– प्रशिक्षण काल में आपको अपरिहार्य कारणों से ही नियमानुसार देय आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जा सकेगा तथा लम्बी अवधि के अवकाश उपभोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अध्ययन/उच्च शिक्षा/बाह्य विभागों में नियुक्ति हेतु भी अनुमति/अनापत्ति प्रदान नहीं की जायेगा।

क्रमशः पेज 2 पर

6— प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप एवं पूर्व में लिखित रूप से नियंत्रक अधिकारी द्वारा बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की दशा में आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के संवर्ग में आपके बैच में आपको ज्येष्ठता का ह्रास होगा तथा प्रशिक्षु के रूप में आपकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती हे। प्रशिक्षण अवधि में यदि आप अनुमन्य अवकाशों से अधिक समय पर अधिकृत या अनधिकृत उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपकी प्रशिक्षण अवधि निश्चित रूप से स्वतः ही उस अवधि से corresponding अवधि के लिए बढ़ जायेगी।

7— आपकी प्रशिक्षण अवधि में आपके कार्यकलाप असन्तोष पाये जाने पर आपकी प्रशिक्षण अवधि बढाने अथवा प्रशिक्षण/नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा

8— उपरोक्त पद पर आपका चयन एवं नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के आधीन की गई है। आपका चरित्र एवं पूर्ववृत असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति/प्रशिक्षण की अवधि अथवा उसके पश्चात किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

9— प्रशिक्षण अवधि के दौरान अथवा विस्तारिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान सहायक अभियन्ता के नियमित पद पर धारणाधिकार (Lien) नहीं होगा।

10— प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त आपकी नियमित नियुक्ति लिखित आदेश के द्वारा अस्थाई पद पर होगी तथा परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। परीवीक्षा अवधि में अनुपयुक्तता पाये जाने पर आपकी परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जा सकती है अथवा आपकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती है। परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपकी नियमित नियुक्ति अस्थाई पद पर लिखित आदेश के द्वारा की जायेगी।

11— आपके उपरोक्त प्रशिक्षण के दौरान यदि आप प्रशिक्षण छोडते हैं तो आपको कम से कम एक माह पूर्व सूचना/नोटिस यूजेवीएन लि0 को देना होगा, अन्यथा इस एवज् में पूर्ण अथवा शेष अवधि का अग्रिम भुगतान सूचना अवधि से कम दिनों के लिये आपको अनुपातिक देय वेतन (Basic Pay + DA) का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय एक माह एवं तदोपरान्त नियमित नियुक्ति पर तीन माह की पूर्व सूचना/नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, अर्थात् तीन माह पूर्व नोटिस देकर ही पद त्याग की अनुमति दी जायेगी अन्यथा इस एवज् में पूर्ण अथवा शेष अवधि का अग्रिम वेतन भुगतान करना होगा। यदि आप नोटिस अवधि का वेतन भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो इसकी कटौती आपके देय वेतन, भत्तों अथवा अन्य देय अवशेषों से कर ली जायेगी और यदि कटौती के बाद भी नोटिस अवधि की धनराशि कम हुई तो शेष राशि का आपको भुगतान करना होगा, उसके पश्चात ही आपको पदमुक्त करके प्रशिक्षण/सेवा का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। यह नोटिस अवधि के एवज का भुगतान इस अग्रिम नियुक्ति पत्र के पैरा 19 (III) में वर्णित बंधपत्र के अनुसार देय धन के अतिरिक्त होगा। इस सम्बन्ध में यदि आपके खिलाफ या आपके द्वारा किए गये कार्यो से संबंधित कोई विभागीय/अनुशासनात्मक जॉच अथवा कार्यवाही (जिसमें आरोप पत्र जारी किया गया हो या दिया जाना प्रस्तावित हो) प्रकियाधीन हो तो यूजेवीएन लिमिटेड आपको तीन माह की सम्पूर्ण नोटिस अवधि पूर्ण करने के लिए अथवा आपको कार्यवाही पूर्ण होने तक यूजेवीएन लिमिटेड में सेवा में बने रहने के लिए बाध्य कर सकता है, जो आपको मान्य होगा।

12— आपके द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नियमित नियुक्ति के दौरान आपकी ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार होगा:—

अ— सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0) के रूप में नियुक्ति होने पर संवर्ग में आपके द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति हेतु परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता कम को संज्ञान में रखते हुए नियमित/मौलिक रूप से नियमानुसार ज्येष्ठता निर्धारित होगी।

ब— नियमित/मौलिक रूप से नियुक्ति के उपरान्त संबंधित चयन वर्ष में आपकी पारस्परिक ज्येष्ठता यूजेवीएनएल में कार्यरत अवर अभियन्ता (ई0एण्डएम0) से प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के साथ नियमानुसार नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित कोटे के अनुसार स्थापित की जायेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित चयन वर्ष में मौलिक रूप से आपको नियुक्ति पहले होने तथा प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की नियुक्ति बाद में होने पर भी ज्येष्ठता कम में पहले स्थान पर प्रोन्नत सहायक अभियन्ता को स्थापित किया जायेगा एवं तदोपरान्त इसी प्रकार अग्रेत्तर निर्धारित कोटे के तहत ज्येष्ठता कम निर्धारित होगा।

स—प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमित/मौलिक रूप से नियुक्ति होने पर भी सीधी भर्ती की सूची में आपकी ज्येष्ठता कम प्रश्नगत श्रेष्ठता सूची के अनुसार स्थापित रहेगी।

कमशः पेज 3 पर

13— यूजेवीएन लिमिटेड में वर्तमान में लागू उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956, यूपीएसईबी (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा की शर्ते एवं सेवा नियमावली 1975 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (Discipline & Appeal) नियमावली, 1999 यथा संशोधित, UPSEB Assistant Engineers (Civil) Service Regulations, 1970 (यथा संशोधित) (जो वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड में लागू है) तथा समय–समय पर लागू/संशोधित नियम, आदेश, नियमावली एवं विनियम आप पर यथावत लागू होंगे तथा आप संबंधित सेवा नियमों, आदेशों एवं विनियमों का नियमित पालन करेंगे।

14— आप प्रशिक्षण के दौरान अथवा तदोपरान्त नियमित नियुक्ति के दौरान उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 27 तथा 27'ए' के अनुसार अपनी सेवा अथवा सेवा शर्तों के बारे में किसी बाहरी राजनैतिक व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वतः अथवा पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से कोई दबाव अथवा प्रभाव नहीं डालेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह अनुशासनहीनता माना जायेगा।

15— प्रशिक्षण एवं नियमित सेवा के दौरान, आप यूजेवीएन लिमिटेड के प्रति निष्ठावान रहेंगे तथा कम्पनी हित में कार्य करेंगे। सेवा के दौरान आप सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई नियोजन (पूर्णकालिक अथवा अंशकालीन) अथवा व्यवसाय नहीं करेंगे।

16— यूजेवीएन लिमिटेड के अन्तर्गत आप पर प्रशिक्षण अवधि में तथा नियमित सेवा में नियुक्ति पर आपको पेंशनरी लाभ देय नही होंगे तथा आप पर सामान्य भविष्य निधि योजना भी लागू नहीं होगी। यूजेवीएन लिमिटेड में नियुक्ति के उपरान्त आप पर The Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 (यथा संशोधित) तथा Payment of Gratuity Act, 1972 (यथा संशोधित) के प्राविधान नियमानुसार लागू होंगे ।

17— उपरोक्त पद हेतु आपका चयन आपके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों, शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता से सम्बधित प्रमाणपत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य आरक्षण हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्रों (यदि लागू हो) के सत्यापन किये जाने की शर्त पर किया गया है। यदि सत्यापन किये जाने पर आपके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण, शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता से सम्बधित प्रमाणपत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य आरक्षण हेतु प्रमाण पत्रों का दावा असत्य पाया जाता है तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे/फर्जी विवरण /प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

18— आपको प्रशिक्षण अथवा उसके बाद नियुक्ति के दौरान यूजेवीएन लिमिटेड के अधीन किसी भी संयत्र/परियोजना/सहायक कम्पनी/ज्वाइन्ट वैन्चर/कार्यालय में यूजेवीएन लिमिटेड कार्यहित में आवश्यकतानुसार यूजेवीएनएल के नियन्त्रणाधीन कहीं भी उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर अथवा अन्य राज्य में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

19— उपरोक्त पद पर कार्यभार ग्रहण के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र प्रस्तुत करने होंगेः–

(I) प्रमाण–पत्र

(क) अन्तिम कालेज/संस्थान अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हों, अथवा सेवा की हो, के सक्षम अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल–चलन एवं चरित्र का प्रमाण–पत्र (मूल रूप में) ।

(ख) दो उत्तरदायी व्यक्तियों अथवा राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों, लेकिन जो आपसे भली भाँति परिचित हों परन्तु आपके विश्वविद्यालय, कालेज अथवा स्कूल से भी सम्बन्धित न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (मूल रूप में) ।

(ग) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतिकरण (मूल प्रमाण पत्र जांचोपरान्त तत्समय वापस लौटा दिये जायेंगे)।

(घ) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त कार्यमुक्ति का पत्र (यदि आप सरकारी/शासकीय/अर्ध शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/संस्थान में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं)। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में किसी भी दशा में आपकी योगदान आख्या (Joining Report) स्वीकार नही की जायेगी।

क्रमशः पेज 4 पर

(च) राज्य के राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Board) से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र (मूल रूप में) ।(चिकित्सा परिषद् को पत्र प्रेषित कर दिया गया है जिसकी प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।)

(छ) एक शपथ पत्र कि आपने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है वह सब मूलरूप में सही है।

(II) घोषणा–पत्र

(अ) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में परिशिष्ट "क"।

(ब) निगम में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के सम्बन्ध में परिशिष्ट "ख"।

(स) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में परिशिष्ट "ग"।

(द) समस्त चल/अचल सम्पति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित गृह सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट "घ" में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाये।

(य) निगम के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धी वचन पत्र परिशिष्ट "च" में निर्धारित प्रपत्र पर।

(र) राजनैतिक दलों से सम्बद्वता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट "छ" में निर्धारित प्रपत्र पर।

(ल) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम में सेवारत न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट "ज" में निर्धारित प्रपत्र पर।

(व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु परिशिष्ट "झ" में निर्धारित प्रपत्र पर विवरण (चार प्रतियों में)।

(श) शपथ–पत्र परिशिष्ट "प"

(स) नियुक्ति हेतु निगम की सेवा शर्ते, वर्तमान मे और 14 जनवरी, 2000 के पश्चात नियुक्त कार्मिक हेतु लागू एवं समय–समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को मान्य एवं स्वीकार करने सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट "फ"।

(ह) परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों की सूची निर्धारित प्रपत्र पर परिशिष्ट "ब"

(क्ष) ग्रेच्यूटी (Gratuity) नामांकन प्रपत्र।

(त्र) भविष्य निधि (Provident Fund) नामांकन/घोषणा (declaration) प्रपत्र।

(III) बन्ध पत्र

इस नियुक्ति हेतु आपको एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचूर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं), को रू0 625/– मूल्य के Non-Judicial Stamp Paper पर प्रशिक्षण अवधि में एवं उसके उपरान्त न्यूनतम 3 वर्षो तक यूजेवीएन लिमिटेड की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में एवं उसके उपरान्त 3 वर्षो की सेवा अवधि में यूजेवीएन लिमिटेड की सेवा छोडने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि यूजेवीएन लिमिटेड को अदा करेंगे। बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा समकक्ष के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र में आपके एवं आपके प्रतिभू द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर किये गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा समकक्ष द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किए जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बन्ध पत्र के साथ आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो, द्वारा जारी किया गया हैसियत प्रमाण पत्र अथवा प्रतिभू (सरकारी/शासकीय/अर्ध शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम) में सेवारत होने की दशा में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र जिसमें प्रतिभू के वेतन के सम्बन्ध में भी विवरण दिया गया हो, संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अथवा

यदि आप उपरोक्त बन्ध पत्र देने में असमर्थ है तो आपको किसी Nationalized/SBI/Scheduled Commercial Bank से, प्रशिक्षण की तिथि से चार वर्ष के लिए रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) की FDR बनवा कर इसे UJVNL के नाम गिरवी (Pledge) करवा कर, मूलरूप में जमा करना होगा।

क्रमशः पेज 5 पर

इसके साथ ही इस आशय का अधिकार पत्र कि प्रशिक्षण अवधि तथा इसके उपरान्त तीन वर्षो की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व यूजेवीएन लिमिटेड की सेवा छोड़ने की स्थिति में उक्त एफडीआर जब्त (forfeit)/(Encash) करने का यूजेवीएन लिमिटेड को अधिकार होगा।

उपरोक्त पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु आपको कोई यात्रा–भत्ता एंव अन्य प्रासंगिक व्यय देय नही होगा ।

यदि नियुक्ति संबन्धी उपरोक्त सेवा शर्ते एवं प्रतिबन्ध आपको स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तुरन्त इस कार्यालय को ज्वाइनिंग से पूर्व जमा कराये। साथ ही आप दिनांक **02.02.2017** को उपरोक्त वर्णित समस्त प्रमाण पत्रों, घोषणा पत्रों, राज्य चिकित्सा परिषद से स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं बन्ध पत्र इत्यादि सहित अधिशासी निदेशक (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून के कार्यालय में योगदान आख्या हेतु उपस्थित हों। निर्धारित प्रारुप पर वॉछित प्रमाण पत्रों एंव घोषणा पत्रों, में से किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपकी योगदान आख्या स्वीकार नहीं की जायेगी ।

यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु यह प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा।

<u>संलग्नक</u>: यथोपरि (23 पृष्ठ)।

भवदीय,

3.1.17

(एस0के0चोपड़ा)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

AE(Trainees)